मुद्रकः- श्रीगणेश,मावली

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली,उदयपुर

र्थी ....गोपालसिंह...... विपक्षी ...हमेरसिंह...............

किस्म मुकदमा ....वाद.........पत्रावली संख्या ..274/15.. सन् ....

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	29/08/24 पत्रावली पेश हुई। उन्नीस वादी 340। प्र.सं. 1 को गिरफ्तार आवाले किलवाई गई। अनुपालना शेष है। अतः प्र.सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत दिनांक 14/10/24 को पेश हो। [signature]	गोपालसिंह
	14/10/24 आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....8/11/24........को पेश हो। D/o [signature]	
	8/11/24 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज जल्दी सुनवाई के प्रार्थना-पत्र के आधार पर नंबर पर ली गई। वादी व प्रतिवादी दोनों व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उप.। वादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया [illegible] में मुझे मेरा हक [illegible] दावा पेश किया जिसमें पिता की सम्पत्ति मे 1/7 हिस्सा खातेदारी घोषणा [signature]	मुझे दावा नहीं लड़ना है - गोपालसिंह ✓ हमेरसिंह

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

सहायक कलक्टर (उपखण्ड) मावली, जिला-उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:46:18 IST
Reason: SelfAttested

मुद्रकः– श्रीगणेश

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली,उदयपुर

प्रार्थी ......गोपालसिंह....... विपक्षी ......उमेरसिंह........

किस्म मुकद्दमा ....वाद..........पत्रावली संख्या ..274/15.. सन् .....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर सूचनाएं
	करने व हिस्सा अलग करने हेतु पेश किया गया। वादी न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी जो वादी के पिता है उनमें राजीनामा होने के कारण यह वाद आगे नही चलाना चाहते है। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी व प्रतिवादी पुत्र - पिता है वादी ने अपने पिता की सम्पत्ति मे हक हिस्सा हेतु अधिकारों की घोषणा हेतु खातेदारी अधिकार उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया है वादी व प्रतिवादी में राजीनामा होने के कारण, एक ही परिवार की [illegible] आराम है। वाद का वाद इस आशय से विद्रो खारिज किया जाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:46:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी गोपालसिंह **विपक्षी** हमेरसिंह

किस्म मुकदमा वाद **पत्रावली संख्या** 274/15 **सन्**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	उचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के हक हिस्से में भूमि में वादी का भी हिस्सा निहित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र-पुत्रियों का जन्म से अधिकार है। इस वाद में पिता व पुत्र में राजीनामा होने, वादी दावा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी का वाद जरिए राजीनामा डिक्री के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 8/11/21 सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:46:18 IST
Reason: SelfAttested